न्यायालय उपखण्ड अधिकारी संगरिया

प्रार्थना –पत्र नम्बर 23/2024

जगदीश प्रसाद बनाम तहसीलदार संगरिया

प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पाईप–लाईन डालने की स्वीकृति देने बाबत

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी का खेत चक 1 एसएनजी खाता संख्या 17/19 के पं.नं. 215/149 मु.नं. 32 किला नं. 11 पं.नं. 215/150 मु.नं. 39 किला नं. 1,2,9,10,11,16 तथा प्रार्थी के पिता के नाम से चक 1 एसएनजी के खाता संख्या 8/9 में पं.नं. 215/151 मु.नं. 44 के किला नं. 6,7,14,15 पं. नं. 216/151 मु.नं. 43 किला नं. 11,20 में कृषि भूमि है प्रार्थी एक लघु कृषक है। प्रार्थी ने अपनी इस समस्त कृषि भुमि मे सिचाई हेतु चक 1 एसएनजी के खाता संख्या 17/19 में प.न. 215/150 मु.न. 39 के किला नं. 1/1 मे नलकूप लगा रखा है।

प्रार्थी अपने चक 1 एसएनजी के प.न. 215/150 मु.न. 39 के किला नं. 1 ता 5 मे. गेरमुमकिन रास्ता की कृषि भूमि मे से प्रार्थी के एक खेत से दूसरे खेत हेतु प्रार्थी के खर्चा पर पाईप लाईन मन्जूर किये जाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कि प्रार्थी द्वारा मु.न. 39 के किला न. 1,2,3 मे पाइप लाइन डाली हुई है किला ने. 4 मे पाइप लाइन नही है किला न. 5 मे पाइप लाइन दबी है पूर्व मे उक्त पाइप लाइन चालू थी जो कि रास्ता चौड़ा करते समय निकल गई थी। प्रार्थी से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जावे कि वह नियमानुसार रास्ता को किसी प्रकार का नुकसान नही करेगा तथा पाइप लाइन को अपने स्तर पर सार सम्भाल करेगा तथा राज्य हित सुरक्षित रखते हुए उचित आदेश दिये जाने के कथन किये जो शामिल पत्रावली है।

अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार राजस्व संगरि[illegible] तथा पत्रावली में अन्य दस्तावेजात का भली–भाति अवलोकन किया गया। अत प्रार्थी की मांग/[illegible] को दृष्टिगत रखते हुए पाईप लाइन स्वीकृति जारी करने क[illegible] निम्न शर्त पर [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

- पाईप लाईन कम से कम 3 फीट गहरी जमीन के अन्दर होना आवश्यक है अन्य कृषकों को दुविधा नही हों।
- प्रार्थी प्राकृतिक कारणों से हुई किसी क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की मांग नही करेगा।
- शर्तो की उल्लघंन पर पाईप लाईन की स्वीकृति कभी भी निरस्त की जा सकेगी।
- प्रार्थी द्वारा डाली गई पाईप लाईन लिकेज होने पर प्रार्थी लिकेज पाईप को सही करने के लिए पाबन्द रहेगा।
- तहसीलदार संगरिया राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम (संशोधित) 2012 के अनुसरण में नियम 70(2)(b) के तहत प्रश्नगत भूमि की डीएलसी का 10 प्रतिशत अनुसार गणना करवाकर राशि राजकोष मे जमा करवाये।
- रास्ता/खाला को कोई नुकसान नही पहुचें तथा रास्ता में कभी भी आवागमन में बाधा नही हो और पाईप लाईन डालते/लिकेज सही करते समय किसी भी काश्तकार की फसल का या अन्य किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न हो।

आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 251–ए आरटीए स्वीकार कर उक्त शर्तो की पालना के आधार पर प्रार्थी को प.न. 215/150 मु.न. 39 के किला ने. 1 ता 5 मे. गेर मुमकिन रास्ता के साइड में 3 फीट गहराई में सिंचाई के लिये पाईप लाईन डालने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। तथा संबंधित भूमि के समस्त काश्तकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थी की सिचाई सुविधा हेतु भूमिगत डाली गई सिंचाई पाईप लाईन मे किसी प्रकार की कोई बाधा/नुकसान कारित नही करेंगें। प्रश्नगत भूमि की लम्बाई X चौडाई के माप किये जाने एवं राजकोष मे नियमानुसार राशि जमा होने के पश्चात् ही प्रश्नगत पाईप लाईन स्वीकृत शुमार समझी जावेगी।

तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:50:10 IST
Reason: SelfAttested